न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरुण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 116/2020

| अपीलान्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| जोगाराम पुत्र लाबूराम जाति कुमावत निवासी बांझाकुडी तहसील जैतारण जिला पाली | | 1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली<br>2– सहायक कलेक्टर जैतारण |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश कमांक/2019/676 दिनांक 13–12–2019 जो उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री के.के.गोयल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12–4–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जैतारण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को ग्राम बांझाकुडी तहसील जैतारण की सीमा स्थित खसरा नंबर 317/1110 रकबा 2 बिस्वा भूमि तहसीलदार जैतारण के आदेश संख्या 387 दिनांक 28–6–75 के सनद फीस की राशि जमा कराने पर नियमन किया गया तथा बाद नियमन प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे बतौर खातेदार के खसरा नंबर 317/1110 रकबा 02 बिस्वा का इन्द्राज जमाबंदी संवत 2069 से 2072 तक अंकित है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि खसरा नंबर 317/1110 के पास ही चिपता खसरा नंबर 366 स्थित है जो सरकारी खसरा होने से प्रार्थी को बाद नियमन के खसरा नंबर 317/1110 के बजाय अन्य भूमि खसरा नंबर 366 मे तत्कालीन पटवारी द्वारा कब्जा सुपुर्द किया तब से ही प्रार्थी वक्त नियमन से उक्त खसरा नंबर 366 मे काबिज है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि उक्त खसरा नंबर 366 की भूमि के संबंध मे पूर्व मे राजस्व कर्मचारियो द्वारा दिनांक 29–3–2014 को मौका एवं नाप चौक मय नक्शा तैयार किया गया जिसमे प्रार्थी का कब्जा खसरा नंबर 366 मे मार्क एफ जी सी ई पर होना दर्शाया हुआ है तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी सर्कुलर अनुसार आवंटित भूमि की बजाय यदि अन्यत्र खसरा नंबर की भूमि पर काबिज होने वाले मामलो मे कब्जे के अनुसार स्वीकृति जारी करने के निर्देश होने से प्रार्थी को नियमन की गई खसरा नंबर 317/1110 के स्थान पर कब्जा वाले खसरा नंबर 366 मे 02 बिस्वा भूमि का संशोधित आदेश पारित कर राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती के आदेश पारित करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–12–2019 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया। जिसके विरूद्ध वर्तमान

अति. सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर बिना किसी कानूनी आधार के खारीज कर दिया जबकि अपीलार्थी का खसरा नंबर 366 की भूमि पर ही कब्जा प्रारंभ से चला आ रहा है तथा उक्त कब्जा की भूमि पर अपीलांट का निर्माण कार्य भी करवाया हुआ है तथा अपीलांट के पक्ष मे विधि अनुसार नियमन किया हुआ है जिसके संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय मे दस्तावेजात रेकर्ड पर होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारीज करने का कोई कानूनी प्रावधान का निर्णय मे उल्लेख नही किया है और न ही कोई विधिसम्मत निष्कर्ष ही दिया है केवल उनके समक्ष तहसीलदार जैतारण द्वारा दिनांक 1–3–2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 13–12–2019 को निरस्त कर अपीलांट के खसरा नंबर 317/1110 के स्थान पर खसरा नंबर 366 मे अपीलांट के नाम राज्य सरकार के सर्कुलर एवं निर्देश के तहत संशोधित आदेश जारी कर राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे राज्य सरकार के जिन परिपत्रो का उल्लेख करते हुए प्रार्थी को खसरा नंबर 317/1110 मे नियमन की गई भूमि का उसके कब्जा अनुसार खसरा नंबर 366 दुरस्ती बाबत आदेश पारित करने का निवेदन किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित राज्य सरकार के परिपत्रो का अध्ययन करने पर उक्त परिपत्रो मे आवंटित भूमि के संबंध मे दिशा निर्देश जारी किये हुए है जबकि वर्तमान अपीलांट को भूमि आवंटित नही होकर नियमन की गई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करने मे कोई विधिक त्रुटि नही की है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र मे चाही गई इस्तदुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का भी अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पटवारी हल्का बांझाकुडी की रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार जैतारण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण के समक्ष प्रकरण की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमे अपीलांट जोगा को खसरा नंबर 317/1110 रकबा 0.02 बिस्वा भूमि का गै.मु.बाडा के रूप मे नियमन की

गई थी, जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे है परंतु अपीलांट जोगा का कब्जा उक्त नियमनसुदा भूमि पर न होकर खसरा नंबर 366 मे पर है,जिसमे उसकी दुकाने एवं मकान बना हुआ है तथा वक्त नियमन से ही खसरा नंबर 317/1110 की भूमि खाली पडी है तथा प्रार्थी अपने कब्जे के आधार पर उक्त नियमन खसरा नंबर 317/1110 की भूमि के स्थान पर खसरा नंबर 366 मे करवाना चाहता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट दिनांक 8–8–17 एवं दिनांक 1–3–2019 जिसमे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रो के संबंध मे भी स्थिति स्पष्ट करते हुए तहसीलदार जैतारण ने अपनी रिपोर्ट मे उल्लेख किया है कि उक्त परिपत्र आवंटित कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार देने के संबंध मे दिशा निर्देश पारित किये है न कि नियमन के संबंध में । जबकि वर्तमान मामले मे अपीलांट को खसरा नंबर 317/1110 की 0.02 बिस्वा भूमि गै.मु. बाडा के रूप मे नियमन हुई थी ।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तमाम तथ्यो का अध्ययन एवं परीक्षण करने के बाद उनके समक्ष प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है जिसमे प्रथमदृष्टियां किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय मे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–12–2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 12–4–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

12.4.2021

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर